## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## अधिसूचना

शिमला-4, 31 अगस्त, 2018

संo: वि0स0—विधायन—प्राo / 1—1 / 2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा 31 अगस्त, 2018 को सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

> यशपाल शर्मा, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

<del>\_\_\_\_\_</del>

### HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA

#### **NOTIFICATION**

Shimla-4, the 31st August, 2018

**No. V.S.-Legn.-Pre/1-1/2018.**—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned *sine-die* with effect from the close of its sitting held on the 31st August, 2018.

YASH PAUL SHARMA, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 30 अगस्त, 2018

संख्याः वि०स0-विधायन-विधेयक / 1-53 / 2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 जो आज दिनांक 30 अगस्त, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / — (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

\_\_\_\_\_

2018 का विधेयक संख्यांक 10

## हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को, व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में सिफारिशें करने और विभिन्न संस्थानों में सेवाओं के बारे में, अतिरिक्त कृत्य सौंपने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के उनहत्त्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) अधिनियम, 2018 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
  - 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) ''आयोग'' से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
  - (ख) ''सरकार या राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
  - (ग) ''संस्थान'' से, कोई प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय या अनुसूची में यथा सम्मिलित कोई अन्य संस्थान अभिप्रेत है:
  - (घ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
  - (ङ) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (च) ''अनुसूची'' से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और
  - (छ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।
- 3. आयोग के अतिरिक्त कृत्य.——(1) किसी संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,——
  - (क) सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विहित रीति में किए गए अनुरोध पर, आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसे संस्थान की समूह 'क', 'ख' या 'ग' सेवा की भर्ती हेतु सिफारिशें करना या भर्ती करने के लिए परीक्षाएं / साक्षात्कार संचालित करना;
  - (ख) आयोग से विहित रीति में प्रशासनिक विभाग के माध्यम से परामर्श किया जा सकेगा,—
    - (i) किसी संस्थान की भर्ती और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित समस्त मामलों पर:
    - (ii) किसी संस्थान की सेवाओं के लिए नियुक्तियां करने में और एक सेवा से अन्य सेवा में प्रोन्नितयां करने में तथा ऐसी नियुक्तियों या प्रोन्नितयों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर अनुसरित किए जाने वाले सिद्धान्तों पर;
    - (iii) किसी संस्थान के अन्तर्गत सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले समस्त अनुशासनात्मक मामलों, जिनके अन्तर्गत ऐसे मामलों से सम्बन्धित अभ्यावेदन और याचिकाएं भी हैं, पर;
    - (iv) कोई व्यक्ति, जो किसी संस्थान में सेवारत है या जिसने उसमें सेवा की है, अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों की बावत उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के प्रतिवाद में उस द्वारा या उसकी ओर से उपगत कोई लागत ऐसे संस्थान की निधियों में से संदाय करने के किसी दावे पर:

(v) किसी व्यक्ति को संस्थान में सेवा करते समय क्षति होने के सम्बन्ध में पेंशन का अधिनिर्णयन करने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर

और आयोग का यह कर्त्तव्य भी होगा कि उसको इस प्रकार निर्दिष्ट किसी मामले पर और संस्थानों के कर्मचारियों से संबंधित किसी अन्य मामले, जिसे सरकार उसे निर्दिष्ट करे, में सलाह देने परः

परन्तु सरकार अधिसूचना द्वारा उन मामलों को, जिनमें आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा या तो साधारणतया या मामलों की किसी विशिष्ट श्रेणी या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

- (2) किसी मामले पर आयोग और संस्थान के बीच किसी मतभेद की दशा में, संबद्ध संस्थान मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- 4. संस्थानों के लिए की गई भर्ती का पुनर्विधिमान्यकरण.—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी संस्थान के सन्दर्भ में आयोग द्वारा की गई भर्तियों पर सिफारिशें इस अधिनियम के अधीन पुनर्विधिमान्यकरण की गई समझी जाएंगी।
- 5. आयोग द्वारा सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना.—आयोग ऐसी विवरणियां, अभिलेख और सूचना आदि, जो विहित की जाए, सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- 6. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.—राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची संशोधित की गई समझी जाएगी।
- 7. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।
- 8. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, आयोग के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—
  - (क) संस्थान या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा आयोग से परामर्श करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
  - (ख) कोई मामला, जो आयोग के साथ परामर्श करने के प्रयोजन के लिए आनुषंगिक या आवश्यक हो; और
  - (ग) आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, अभिलेखों और सूचना आदि के लिए; और
  - (घ) कोई अन्य मामला जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाए जाएं।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह कम से कम पन्द्रह दिन की अविध के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है, सत्र के ठीक अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह नियम, यथास्थित, ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलीकरण से तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

## [धारा 2(च) और धारा 6 देखें]

- 1. हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम (एच आर टी सी)।
- 2. हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एच बी सी एफ डी सी)।
- 3. हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (एच पी एफ सी)।
- 4. हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (एच पी जी आई सी)।
- 5. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम सीमित।
- 6. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एच पी के वी एन)।
- 7. हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम।
- 8. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (एच पी पी सी एल)।
- 9. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (एच पी एस सी एस टी डी सी)।
- 10. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एच पी एस सी एस सी)।
- 11. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित (एच पी एस ई डी सी)।
- 12. हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित (एच पी एस एफ सी) ।
- 13. हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला और हथकरघा निगम सीमित (हिमक्राफ्ट)।
- 14. हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (एच पी एस आई डी सी)।
- 15. हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (एच पी आर आई डी सी)।
- 16. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच पी टी डी सी)।
- 17. राज्य में नगर निगम।
- 18. हिमाचल प्रदेश विद्युत पारेषण निगम सीमित (एच पी पी टी सी एल)।
- 19. हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन।
- 20. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध-उत्पादन प्रसंघ सीमित।
- 21. हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
- 22. हिमाचल प्रदेश शिशु—कल्याण परिषद्।
- 23. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (एच पी बी ओ एस ई)
- 24. हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य अवसरंचना सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
- 25. हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड।
- 26. हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
- 27. हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड।
- 28. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (एच पी एस ई बी)।
- 29. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।
- 30. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला।
- 31. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता प्रसंघ।
- 32. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण।
- 33. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित।
- 34. जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित।
- 35. कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित।
- 36. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित।

# उद्देश्यों और करणों का कथन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 320, लोक सेवा आयोग के कृत्यों को विनिर्दिष्ट करता है और अनुच्छेद 321 राज्य विधानमण्डल को अधिनियमिति द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं और विभिन्न संस्थानों की सेवाओं की बावत लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग करने का उपबन्ध करने हेतु सशक्त करता है। इन संस्थानों में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और उनकी सेवा—शर्तों को विनियमित करने के आशय से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को उन कृत्यों, जिनका यह राज्य की सेवाओं के बारे में

प्रयोग करता है, को सौंपना आवश्यक समझा गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में विधि अधिनियमित करना अनिवार्य समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला :		जय राम	ठाकुर
तारीख:	, 2018	मुख्य	

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2018

# THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION (ADDITIONAL FUNCTIONS) BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

#### BILL

to entrust the additional functions to the Himachal Pradesh Public Service Commission with regard to making recommendations for recruitment of persons and as respects the services of various institutions.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

- **1. Short title and commencement.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Additional Functions) Act, 2018.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.
  - 2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—
    - (a) "Commission" means the Himachal Pradesh Public Service Commission;
    - (b) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
    - (c) "Institution" means an authority, board, corporation, body corporate or any other institution as included in the SCHEDULE;
    - (d) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
    - (e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

- (f) "SCHEDULE" means the SCHEDULE appended to this Act; and
- (g) "State" means the State of Himachal Pradesh.
- **3.** Additional functions of the Commission.—(1) Notwithstanding anything contained in any law relating to the appointment and conditions of service of employees of an institution,—
  - (a) on request being so made through the Administrative Department concerned in the manner prescribed, it shall be the duty of the Commission to make recommendations for recruitment or to conduct examinations/interviews for making recruitment to the services to Group A, B or C of such institution;
  - (b) the Commission may be consulted in the manner prescribed through the Administrative Department,—
    - (i) on all matters relating to recruitment and conditions of service of an institution;
    - (ii) on the principles to be followed in making appointments to services of an institution and in making promotions from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments or promotions;
    - (iii) on all disciplinary matters affecting a person serving under an institution including memorials and petitions relating to such matters;
    - (iv) on any claim by or in respect of a person who is serving or has served in the institution that any cost incurred by him in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty, for paying out of the funds of such institution;
    - (v) on any claim for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving in the institution and any question as to the amount of such award;

and it shall be the duty of the Commission to advise on any matter so referred to them and on any other matter relating to employees of the institutions which the Government may refer to them:

Provided that the Government may, by notification, specify the matters in which, either generally or in any particular class of cases or in any particular circumstances, it shall not be necessary to consult the Commission.

- (2) In the case of any difference of opinion between the Commission and the institution on any matter, the institution concerned shall refer the matter to the Government and the decision of the Government thereon shall be final.
- **4. Revalidation of recruitment made for the Institutions.**—The recommendations on recruitments made by the Commission with reference to any Institution before coming into force of this Act shall be deemed to have been revalidated under this Act.
- **5.** Commission to furnish returns etc. to the Government.—The Commission shall furnish such returns, records and information etc. to the Government as may prescribed.

- **6. Power to amend the SCHEDULE.**—The State Government after consultation with the Commission, may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, add to or delete any entry of the SCHEDULE, or otherwise amend the SCHEDULE, and thereupon the SCHEDULE shall be deemed to have been amended.
- 7. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.
- **8. Power to make rules.**—(1) The Government in consultation with the Commission and after previous publication, may make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,—
  - (a) the procedure to be followed by the institution or any other competent authority for consultation with the Commission;
  - (b) any matter which is incidental to, or necessary for, the purpose of consultation with the Commission;
  - (c) the returns, records and information etc. to be furnished by the Commission; and
  - (d) any other matter for which rules may be made under this Act.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

### **SCHEDULE**

## [Section 2(f) and Section 6]

- 1. Himachal Pradesh Road Transport Corporation (HRTC).
- 2. Himachal Pradesh Backward Classes Finance and Development Corporation (HBCFDC).
- 3. Himachal Pradesh Financial Corporation (HPFC).
- 4. Himachal Pradesh General Industries Corporation (HPGIC).
- 5. Himachal Pradesh Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation Limited.
- 6. Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam (HPKBN).
- 7. Himachal Pradesh Minorities Finance and Develoment Corporation.
- 8. Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL).
- 9. Himachal Pradesh Scheduled Caste and Scheduled Tribes Development Corporation Limited (HPSCSTDC).
- 10. Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited (HPSCSC).
- 11. Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation Limited (HPSEDC).

- 12. Himachal Pradesh Forest Corporation Limited (HPSFC).
- 13. Himachal Pradesh State Handicraft and Handloom Corporation Limited (HIMCRAFT).
- 14. Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Limited (HPSIDC).
- 15. Himachal Pradesh Road and other Infrastructure Dev. Corporation Limited (HPRIDC).
- 16. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation (HPTDC).
- 17. Municipal Corporations in the State.
- 18. Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited (HPPTCL).
- 19. Himachal Pradesh Agro Industries Corporation.
- 20. Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producer Federation Limited.
- 21. Himachal Pradesh State Social Welfare Board.
- 22. Himachal Pradesh State Council for Child Welfare.
- 23. Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala (HPBOSE).
- 24. Himachal Pradesh Building & other Construction Workers Welfare Board.
- 25. Himachal Pradesh Infrastructure Development Board.
- 26. Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board.
- 27. Himachal Pradesh Agriculture Marketing Board.
- 28. Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEB).
- 29. Himachal Pradesh State Pollution Control Board.
- 30. Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board, Dharamshala.
- 31. Himachal Pradesh State Co-operative Marketing and Consumer's Federation.
- 32. Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority.
- 33. Himachal Pradesh State Co-operative Bank Limited.
- 34. Jogindera State Co-operative Bank Limited.
- 35. The Kangra Central Co-operative Bank Limited.
- 36. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture and Rural Development Bank Limited.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 320 of the Constitution of India, specifies the functions of the Public Service Commission and article 321 empowers the State Legislature, by an enactment, to provide for exercise of additional functions by the Public Service Commission as respects the services of the State and also as respects the services of various institutions. In order to ensure that proper persons are appointed to these institutions and to regulate their service conditions, it is considered necessary to entrust the Himachal Pradesh Public Service Commission with the same functions as it exercises as respects the services of the State. Hence, it has been considered necessary to enact a law in this regard.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

JAI RAM THAKUR, Chief Minister.

SHIMLA: THE...... 2018